

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद- संत कबीर नगर।

पत्र संख्या : एस०पी०एम०य००/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/संत कबीर नगर/2019-20/ ७४१० दिनांक: १७-०६-१९
विषय: राज्य स्तरीय दल द्वारा 22 से 24 मई 2019 में किए गए पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 22 से 24 मई 2019 को जनपद संत कबीर नगर के विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान चिकित्सा इकाईयों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में प्रकाश में आए बिन्दुओं के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गई है। पुनः टीम का अभिमत है कि जनपद में तैनात ३००५०आई०सी० मैनेजर श्री पिन्टू कुमार द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वाहन नहीं किया जा रहा है। उनके पास किसी भी ब्लॉक का माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं मिला। माह अप्रैल 2019 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संदर्भित एवं उपचारित बच्चों की संख्या शून्य है। लाइन लिस्ट, ब्लॉकवार प्रत्येक एम०एच०टी० हेतु उपकरणों का विवरण तथा उसकी उपलब्धता की कोई भी सूचना टीम को उपलब्ध नहीं करायी गई है। ३००५०आई०सी० मैनेजर को इस हेतु सचेत कर दिया जाये कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पर कठोर कार्यवाही के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

आपसे अनुरोध है कि भ्रमण दल द्वारा इंगित कियों एवं दिए गए सुझावों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पृष्ठांकन : एस०पी०एम०य००/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/संत कबीर नगर/2019-20/
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य भवन लखनऊ उ०प्र०।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, संत कबीर नगर, उ०प्र०।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती।
5. स्टेट नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के./ संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०।
6. जनपदीय नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के० को इस आशय से प्रेषित कि भ्रमण के दौरान पायी गयी किमियों का निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक / ३००५०आई०सी० प्रबन्धक, संतकबीरनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि पर्यवेक्षण रिपोर्ट की अनुपालन आख्या यथा—शीघ्र प्रस्तुत करें।

(डा० मनोज कुमार शुक्ल)

महाप्रबन्धक— आर.बी.एस.के०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— संत कबीर नगर।

पत्र संख्या : एस०पी०एम०य०० / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / संत कबीर नगर / 2019-20 /

विषय: राज्य स्तरीय दल द्वारा 22 से 24 मई 2019 में किए गए पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

दिनांक: 17-06-19

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 22 से 24 मई 2019 को जनपद संत कबीर नगर के विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान चिकित्सा इकाईयों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में प्रकाश में आए बिन्दुओं के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गई है। पुनः टीम का अभिमत है कि जनपद में तैनात डी०ई०आई०सी० मैनेजर श्री पिंचू कुमार द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वाहन नहीं किया जा रहा है। उनके पास किसी भी ब्लॉक का माइक्रोप्लान उपलब्ध नहीं मिला। माह अप्रैल 2019 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संदर्भित एवं उपचारित बच्चों की संख्या शून्य है। लाइन लिस्ट, ब्लॉकवार प्रत्येक एम०एच०टी० हेतु उपकरणों का विवरण तथा उसकी उपलब्धता की कोई भी सूचना टीम को उपलब्ध नहीं करायी गई है। डी०ई०आई०सी० मैनेजर को इस हेतु सचेत कर दिया जाये कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पर कठोर कार्यवाही के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

आपसे अनुरोध है कि भ्रमण दल द्वारा इंगित कर्मियों एवं दिए गए सुझावों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पृष्ठांकन : एस०पी०एम०य०० / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / संत कबीर नगर / 2019-20 / २४१०-७ तददिनांक

- प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य भवन लखनऊ उ०प्र०।
 2. महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ०प्र०।
 3. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, संत कबीर नगर, उ०प्र०।
 4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती मण्डल बस्ती।
 5. स्टेट नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के. / संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०।
 6. जनपदीय नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के० को इस आशय से प्रेषित कि भ्रमण के दौरान पायी गयी कर्मियों का निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
 7. मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक / डी०ई०आई०सी० प्रबन्धक, संतकबीरनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि पर्यवेक्षण रिपोर्ट की अनुपालन आख्या यथा—शीघ्र प्रस्तुत करें।

Nalak

(डा० मनोज कुमार शुक्ल)

महाप्रबन्धक— आर०बी०एस०के०

१

पर्यवेक्षण आख्या जनपद-संत कबीर नगर

दिनांक 22.05.2019 से 24.05.2019 तक

भ्रमण टीम के सदस्य—:


1. डा० रेशमा मसूद, ए०जी०ए०म०, आर०बी०ए०स०क०, ए०स०पी०ए०य०य०।
2. इन्द्रानी सरकार, एकाउन्ट मैनेजर कम डाटा एनालिस्ट, आर०बी०ए०स०क०, ए०स०पी०ए०य०य०।

दिनांक— 22.05.2019

वी०ए०च०ए०न०डी०

उपकेन्द्र-बर्दगो, मलिन क्षेत्र-लकाड़ी

उपकेन्द्र-बर्दगो, वी०ए०च०ए०न०डी०



दिनांक 22.05.2019 को वी०ए०च०ए०न०डी० के पर्यवेक्षण हेतु उपकेन्द्र बर्दगो के ग्राम लकाड़ी में चल रहे सत्र का टीम द्वारा भ्रमण किया गया।

पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकन बिन्दु निम्नलिखित हैं –

- वी०ए०च०ए०न०डी०, सत्र पर ए.एन.एम. — पूर्णिमा भारती, ग्रामीण आशा— गीता उपस्थित थीं।
- वी०ए०च०ए०न०डी० के दौरान ए.एन.एम. के पास लाल एवं काली बायोमेडिकल वेर्स्ट पॉलीथीन बैग उपलब्ध नहीं थी।
- वजन मशीन क्रियाशील नहीं पायी गयी।
- ए.एन.एम. के पास टी०टी० वैक्सीन तथा जे०ई० वैक्सीन का स्टॉक नहीं पाया गया।
- वैक्सीन के साथ केवल पी०सी०ए०म०, एल्बेन्डाजॉल, ओ०आर०ए०स०, आयरन की लाल गोली के अतिरिक्त अन्य कोई औषधियां पायी नहीं गयी।
- टीकाकरण के उपरान्त लाभार्थीयों को समस्त संबंधी जानकारी नहीं दी जा रही थी।
- गर्भवति महिलाओं की जांच हेतु अलग से व्यवस्था (टेबल व पर्दा की) नहीं थी। जिसके कारण गर्भवति महिलाओं का पर एड्डमिनिल एकजामनेशन सम्भव नहीं हो पा रहा था।
- वी०ए०च०ए०न०डी० हेतु जगह उपयुक्त नहीं पाया गया, जनपदीय नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं ए.एन.एम. को कोई दूसरी जगह चिन्हित कर प्लान में सम्मिलित करने का सुझाव टीम द्वारा दिया गया।
- ए.एन.एम. — पूर्णिमा भारती ए०स०बी०ए० ट्रेनड नहीं है।
- ए.एन.एम. एवं आशा के पास जिंक उपलब्ध नहीं था।

- वी०एच०एन०डी० के दौरान पाया गया कि ड्यूलिस्ट में चिन्हित 37 बच्चों में से 15 बच्चों का टीकाकरण सम्पूर्ण किया गया।
- ए०एन०सी० रजिस्टर के पृष्ठ पर संख्या अंकित नहीं थे। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित करने हेतु सुझाव टीम द्वारा दिया गया।
- आशा को कार्यक्रम वार मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी।
- पर्यवेक्षण के दौरान आर०बी०एस०के० के अन्तर्गत बच्चों में चिन्हित जन्मजात दोषों के पहचान के बारे में पूछे जाने पर जानकारी का आभाव था। जनपदीय नोडल अधिकारी एवं डी०ई०आई०सी० मैनेजर को सभी स्वास्थ्य कार्यक्रियों जैसे ए०एन०एम० एवं आशा को नियमित रूप से जन्मजात दोषों से ग्रसित शिशुओं के पहचान हेतु प्रशिक्षण देने हेतु सुझाव दिया गया।

उपकेन्द्र— मीरगंज

दिनांक 22.05.2019 को भ्रमण दल द्वारा उपकेन्द्र मीरगंज का भ्रमण अपरहन 01:45 में किया गया। भ्रमण के दौरान उपकेन्द्र बन्द पाया गया। संज्ञान में आया कि उपकेन्द्र हेतु कार्यरत तीनों ए०एन०एम० टीकाकरण सत्र पर गयी है।

उपकेन्द्र—मीरगंज— बन्द पाया गया



वी०एच०एन०डी०

उपकेन्द्र—चिलौना

दूय लिस्ट— बच्चे— 21

विजिटेड— 17

प्रेगनेन्ट महिला— 10

विजिटेड— 4

दिनांक 22.05.2019 को वी०एच०एन०डी० के पर्यवेक्षण हेतु उपकेन्द्र चिलौना में चल रहे सत्र का टीम द्वारा भ्रमण किया गया।

पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकन बिन्दु निम्नलिखित हैं –

- वी०एच०एन०डी०, सत्र पर ए.एन.एम. — सुनीता वर्मा, ग्रामीण आशा—शंख्लावती उपस्थित थीं।
- वी०एच०एन०डी० के दौरान ए.एन.एम. के पास लाल एवं काली बायोमेडिकल वेस्ट पॉलीथीन बैग उपलब्ध नहीं थी।
- ग्रामीण आशा के पास बैग नहीं था। पूछे जाने पर बताया गया कि बैग प्रायः घर पर रख दिया जाता है।

- ए.एन.एम. एवं आशा के पास जिंक उपलब्ध नहीं था।
- टीकाकरण के उपरान्त लाभार्थीयों समस्त संबन्धी जानकारी नहीं दी जा रही थी।
- गर्भवति महिलाओं की जांच हेतु अलग से व्यवस्था (टेबल व पर्दा की) नहीं थी, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं का पर एबडॉमिनल एकजामनेशन सम्भव नहीं हो पा रहा था।
- ए.एन.एम. – सुनीता वर्मा एस०बी०ए० ट्रेनड नहीं थी।
- आशा को कार्यक्रम वार प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी।
- बी०एच०एन०डी० के दौरान ए.एन.एम. के पास टी०टी० वैक्सीन तथा जे०ई० वैक्सीन का स्टॉक नहीं पाया गया।
- बी०एच०एन०डी० के दौरान पाया गया कि ड्यूलिस्ट में चिह्नित 21 बच्चों में से 17 बच्चों का टीकाकरण सम्पूर्ण किया गया।
- ए०एन०सी० रजिस्टर के पृष्ठ पर संख्या अंकित नहीं थे। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित करने हेतु सुझाव टीम द्वारा दिया गया।
- पर्यवेक्षण के दौरान आर०बी०एस०के० के अन्तर्गत बच्चों में चिह्नित जन्मजात दोषों के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण आशा को जन्मजात दोषों के पहचान के बारे में पूछे जाने पर जानकारी का आभाव था। जनपदीय नोडल अधिकारी एवं डी०ई०आई०सी० मैनेजर को सभी स्वास्थ्य कार्यक्रियों जैसे ए०एन०एम० एवं आशा को नियमित रूप से जन्मजात दोषों से ग्रसित शिशुओं के पहचान हेतु प्रशिक्षण देने हेतु सुझाव दिया गया।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— काशीराम

दिनांक 22.05.2019 को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— काशीरामका टीम द्वारा भ्रमण किया गया। नगरीय प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— काशीराम, मलिन बस्ती के निकट स्थित है। जो लगभग 20 हजार की आबादी को कवर कर रहा है। टीम द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, का भ्रमण अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल आर०बी०एस०के०, जनपदीय अरबन कोर्डिनेटर, डी०ई०आई०सी० मैनेजर के साथ किया गया। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काशीराम, किराये के भवन में क्रियाशील है तथा एक फुलटाइम एम०ओ० एवं एक पार्ट टाइम एम०ओ० तैनात है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिदिन 60–70 की ओ०पी०डी० की जा रही है।

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> • मातृ एवं शिशु सेवाएं, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं जटिलता की स्थिति में संदर्भन की सुविधयें इस चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही हैं। • बयोमैट्रिक मशीन एवं अग्रिशामक उपलब्ध था। • नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। जिनका पंजीकरण एवं बैंक खाता संचालित है परन्तु आर०के०एस० रजिस्टर केन्द्र पर उपलब्ध नहीं था। • नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव कक्ष भी स्थापित है। दिनांक 22.05.2019 को एक प्रसव सफलतापूर्वक कराया गया एवं ट्रिप्लेट्स का जन्म हुआ। 	<ul style="list-style-type: none"> • टीम द्वारा आर०के०एस० रजिस्टर के नियमानुसार रख रखाव करने हेतु सुझाव दिया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> • नोडल अधिकारी एन०य०एच०एम०/ जनपदीय अरबन हेत्थ कोर्डिनेटर

<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य केन्द्र पर आई0ई0सी0 तथा ई0डी0एल0 सूचि प्रदर्शित थी। BMW हेतु लाल, नीला एवं पीली बाल्टी भी उपलब्ध थी। ए0एन0सी0 रजिस्टर का रख रखाव मानक के अनुसार पाया गया। आक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध था परन्तु किसी को उसका उपयोग करना ठीक से नहीं आता था। रेफरल रजिस्टर पर संदर्भन के कारण अंकित नहीं थे। पार्ट टाइम एम0ओ0 का ओ0पी0डी0 रजिस्टर मानकानुसार नहीं पाया गया। औषधि हेतु स्टाक रजिस्टर में कमियां पाई गयी। पूर्ण कालिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र पर एनिमिया उपलब्ध नहीं है। लैब टेस्ट रजिस्टर तथा अन्य आवश्यक रजिस्टरों पर कोई कवर नहीं चढ़ाया गया। किसी भी पृष्ठ पर संख्या अंकित नहीं पायी गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य केन्द्र को व्यवस्थित करने एवं रिकार्ड के रख रखाव हेतु चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। टीम द्वारा आक्सीजन सिलेण्डर को आवश्यकतानुसार उपयोग करने तथा नियमित रूप से लॉग बुक लिखने हेतु सुझाव दिया गया। 	<p>नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0/ जनपदीय अरबन हेल्थ कोर्डिनेटर</p> <p>नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0/ जनपदीय अरबन हेल्थ कोर्डिनेटर</p>
---	---	---

उपकेन्द्र— विश्वनाथपुर



ए0एन0एम0— शोभा देवी।

दिनांक 22.05.2019 को पर्यवेक्षण हेतु उपकेन्द्र विश्वनाथपुर का टीम द्वारा भ्रमण किया गया। उपकेन्द्र पर ए0एन0एम0— शोभा देवी तैनात मिली।

पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये अवलोकन बिन्दु निम्नलिखित हैं –

- लाभार्थियों हेतु टॉयलेट बहुत गंदा पाया गया।

- एक्सपायरी ड्रग्स जैसे— ऑक्सीटॉसिन एवं सिन्टोसिन उपकेन्द्र में रखे पाये गये , साथ ही अल्बेन्डाजॉल टैबलेट के तीन डिब्बे एक्सपायरी पाये गये, जिसे टीम द्वारा वहां से हटाने तथा भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने के लिए चेतावानी दी गयी।
- प्रसव कक्ष में प्रसव हेतु टैबल पर चादर बहुत गंदा था तथा Kelly's Pad उपलब्ध नहीं था।
- उपकेन्द्र में सफाई निराशाजनक थी।
- विटामिन ए का कोई स्टॉक उपकेन्द्र पर पिछले एक साल से उपलब्ध नहीं था।

दिनांक— 23.05.2019

आंगनवाड़ी— चौरी

पंजीकृत बच्चों की संख्या— 50

उपस्थित बच्चों की संख्या— 21

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> भ्रमण के दौरान डी०ई०आई०सी० मैनेजर द्वारा टीम के माइक्रोप्लान साथ में नहीं ले जाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के पास बच्चों की परीक्षण हेतु ग्रोथ चार्ट उपलब्ध नहीं था। बच्चों के आंखों के परीक्षण के लिए टीम द्वारा मोबाइल के टॉच का प्रयोग किया जा रहा था। पर्यवेक्षण के दौरान पाया गया कि मोबाइल हेत्थ टीम के सदस्यों द्वारा मॉड्यूल एवं जॉब एड साथ में नहीं लाया जाता। ज्ञात हुआ कि किसी भी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल एवं जॉब एड की ठीक से जानकारी नहीं थी। एम०एच०टी० रजिस्टर पर बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के मोबाइल नम्बर अंकित नहीं थे। टीम के पास बैनडेज एवं गौज़ उपलब्ध नहीं था। टीम के पास आर०बी०एस०के० ई०डी०एल० के सापेक्ष कुछ औषधियां ही उपलब्ध पायी गयी। आर०बी०एस०के० वाहन टैक्सी परमिट एवं जी०पी०आर०एस०— युक्त पाये गये। मोबाइल हेत्थ टीम के पास कुछ उपकरण जैसे— वजन मशीन (शिशु), मेरिनिफाइन ग्लास, क्रेयोन, रैटल, एवं 	<ul style="list-style-type: none"> डी०ई०आई०सी० मैनेजर के पास माइक्रोप्लान की प्रति उपलब्ध न होने के लिए चेतावनी दी गयी। टीम सदस्यों को पार्टीसिपेन्ट मैनुअल तथा जॉब एड भ्रमण के दौरान रखने तथा उसका मानकानुसार उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। मोबाइल हेत्थ टीम को व्यवस्थित करने एवं रिकार्ड के रख रखाव हेतु चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। आर०बी०एस०के० वाहन का भुगतान नियमित रूप से नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये। टीम द्वारा निर्देशित किया गया 	<p>नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के०/ जनपदीय डी०ई०आई०सी मैनेजर।</p> <p>नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के०/ जनपदीय डी०ई०आई०सी मैनेजर।</p>

पिच्चर बुक उपलब्ध नहीं था।	कि अनुभाग द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश दिनांक 14.09.2018 के अनुसार समस्त उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायें।	
----------------------------	---	--

आंगनवाड़ी- बसडीला

कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या— 90

उपस्थित बच्चों की संख्या— 14

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास बच्चों की परीक्षण हेतु ग्रोथ चार्ट उपलब्ध नहीं था। मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों द्वारा बच्चों का head circumference नापने हेतु साधारण टेप का प्रयोग किया जा रहा था। बच्चों के आंखों के परीक्षण के लिए टीम द्वारा मोबाइल के टॉर्च का प्रयोग किया जा रहा था। पर्यवेक्षण के दौरान पाया गया कि मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों द्वारा मॉड्यूल एवं जॉब एड साथ में नहीं लाया जाता। ज्ञात हुआ कि किसी भी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल एवं जॉब एड की ठीक से जानकारी नहीं थी। एम०एच०टी० रजिस्टर पर बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के मोबाइल नम्बर अंकित नहीं थे। टीम के पास बैनडेज एवं गौज़ उपलब्ध नहीं था। टीम के पास आर०बी०एस०के० ई०डी०एल० के सापेक्ष कुछ औषधियां ही उपलब्ध पायी गयी। आर०बी०एस०के० वाहन टैक्सी परमिट एवं जी०पी०आर०एस०— युक्त पाये गये। मोबाइल हेल्थ टीम के पास कुछ उपकरण जैसे— वजन मशीन (शिशु), मेनिफाईन ग्लास, क्रेयोन, रैटल, एवं पिच्चर बुक उपलब्ध नहीं था। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा हेड मेजरिंग टेप उपयोग करने हेतु कहा गया। मोबाइल हेल्थ टीम को व्यवस्थित करने एवं रिकार्ड के रख रखाव हेतु विकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से प्रेषित 14.09.2018 के दिशा निर्देशानुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। 	<p>नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के०/ जनपदीय डी०ई०आई०सी मैनेजर।</p> <p>नोडल अधिकारी आर०बी०एस०के०/ जनपदीय डी०ई०आई०सी मैनेजर।</p>

ब्लॉक पी0एच0सी0— बघौली

एम0ओ0आई0सी0— डॉ सियाराम यादव।

आर0बी0एस0के0 टीम के लिए मूवमेन्ट रेजिस्टर उपलब्ध नहीं था।

भ्रमण विन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य केन्द्र पर साफ सफाई की व्यवस्था निराशाजनक थी। चिकित्सालय में लाभार्थियों हेतु शौचालय अत्यन्त गंदा था। सामान्य प्रसव वाले सभी लाभार्थी 48 घन्टे चिकित्सालय में नहीं रुक रहे थे। Case Sheet एवं प्रसव कक्ष से सम्बन्धित अन्य किसी भी रजिस्टर पर एम.सी.टी.एस. नम्बर, लाभार्थी का मोबाइल नम्बर अंकित नहीं किया जा रहा था। चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आर0सी0एच0 पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने के कारण एम.सी.टी.एस. नम्बर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिया जाने वाला डाईट हेतु डाईट रजिस्टर उपलब्ध था। डाईट चार्ट कहीं Display नहीं किया गया था। प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्स को लेबर रूम प्रोटोकॉल/सेप्टी प्रोटोकॉल एवं इंफेक्सन कन्ट्रोल की जानकारी हेतु Re-orientation की आवश्यकता है। ई0डी0एल0 प्रदर्शित नहीं थी। BMW हेतु चयनित एजेंसी द्वारा नियमित सेवाये नहीं प्रदान की जा रही थी। चिकित्सालय में के0एम0सी0 वार्ड नहीं बना हुआ था। चिकित्सालय में सेमी ऑटो एनेलाइजर उपलब्ध नहीं था। रेफरल आउट रजिस्टर ठीक प्रकार से मेनटेन नहीं किया गया था। एम0डी0आर0 रजिस्टर उपलब्ध मिला, परन्तु ऑडिट की रिपोर्ट पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। लेबर रूम में ट्रे उपलब्ध थी परन्तु ठीक प्रकार से मेनटेन नहीं की जा रही थी। ऑक्सीटोसीन उपलब्ध नहीं मिला। लैब में कोई भी सेप्टी प्रीकॉशन मेजर उपयोग नहीं किया जा रहा था। चिकित्सालय में ब्लीचिंग पाउडर साल्यूशन नहीं बनाया गया था। 	<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य केन्द्र को व्यवस्थित करने एवं रिकार्ड के रख रखाव हेतु चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को सुझाव दिया गया। सभी मोबाइल हेत्थ टीमों को नियमानुसार सभी सूचनाओं एवं लाइन लिस्ट का रख-रखाव तथा माइक्रोप्लान के अनुसार नियमित भ्रमण करने हेतु 	<p>एम0ओ0आई0सी0 पी0एच0सी0, बघौली / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, संत कबीर नगर।</p>

● आरोबी०एस०के० टीम के लिए मूवमेन्ट रेजिस्टर उपलब्ध नहीं था।	निर्देशित किया गया।	नोडल अधिकारी आरोबी०एस०के० एवं डी०ई०आई०सी० मैनेजर।
---	---------------------	---

दिनांक— 24.05.2019
जिला संयुक्त चिकित्सालय— खलीलाबाद

भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
<ul style="list-style-type: none"> बाह्य रोगी विभाग (ओ०पी०डी०) भवन की स्थिति सन्तोषजनक थी एवं प्रांगण की सफाई व्यवस्था ठीक थी। चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु उपस्थित महिला रोगियों की संख्या अधिक थी उनके बैठने हेतु ओ०पी०डी० प्रांगण में समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। रोगियों एवं उनके साथ सहायता हेतु आने वाले परिजनों के उपयोगार्थ शौचालयों की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। सफाई की भी कमी पाई गई। चिकित्सालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या अत्यन्त कम पायी गयी जिसके कारण ओ०पी०डी० एवं वार्ड में attendant की अनावश्यक भीड़ थी। ANC Register/Case Sheet एवं प्रसव कक्ष से सम्बन्धित अन्य किसी भी रजिस्टर पर एम. सी.टी.एस. नम्बर, लाभार्थी/आशा का मोबाइल नम्बर अंकित नहीं किया जा रहा है। बेड हेड टिकेट को मानकानुसार भरा नहीं जा रहा था। लाभार्थियों हेतु डाईट रजिस्टर में 17.05.2019 के बाद कोई भी इन्ट्री नहीं की गयी। चिकित्सालय में सभी लाभार्थियों हेतु निःशुल्क सिटी स्कैन की सुविधा दी जा रही है। उक्त सुविधा एच०एल०एल० नामक स्वैच्छिक संस्था द्वारा दी जा रही है। स्थानीय पत्रकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रति सिटी स्कैन हेतु रु० 300/- लाभार्थियों से लिया जा रहा है। ए०एच० क्लीनिक हेतु एक कक्ष आवंटित 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, संत कबीर नगर को नियमानुसार ओ०पी०डी०, लेबर रूम की व्यवस्थायें सुदृढ़ किये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का सुझाव टीम द्वारा दिया गया। 	चिकित्सा अधीक्षक, जिला—संयुक्त चिकित्सालय, संत कबीर नगर।
		<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक, जिला—संयुक्त चिकित्सालय, संत कबीर नगर।

<p>किया गया था, जिसमें दोनों पुरुष एवं महिला काउन्सलर के बैठने की व्यवस्था की गयी थी। महिला काउन्सलर श्रीमती रेनू श्रीवास्तव अवकाश पर थी परन्तु स्वीकृत सी०एल० एप्लीकेशन उपलब्ध नहीं थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ए०एच० क्लीनिक के पुरुष काउन्सलर को ए०एफ०एच०एस० से सम्बन्धित रजिस्टर तथा किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर पूर्ण जानकारी नहीं थी। इससे प्रतीत होता है कि रिफेशर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ● एन०सी०डी० क्लीनिक में केवल मनोरोग सामाजिक सेवा प्रदाता तथा स्टाफ नर्स भी उपस्थित पाये गये। उन लोगों को एन०सी०डी० से सम्बन्धित विषयों पर लाभार्थियों को परामर्श देने हेतु ठीक से जानकारी का आभाव था। क्लीनिक में आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं मिले। पूछने पर ज्ञात हुआ कि कर्मियों को अभी तक कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● महिला काउन्सलर का उस दिन का वेतन उनकी अवकाश प्रार्थना पत्र के सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया जाये। 	<p>नोडल आर०क००एस०क०० / आर० क००एस०क०० कॉडिनेटर।</p> <p>चिकित्सा अधीक्षक / नोडल एन०सी०डी०</p>
---	---	---

भ्रमण के उपरान्त पर्यवेक्षण दल द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्साधिकारी, संत कबीर नगर की अध्यक्षता में सम्बन्धित ए०सी०एम०ओ०, प्रभारी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, डी०पी०एम०, डी०सी०पी०एम०, डी०ई०आई०सी० मैनेजर, आर०क००एस०क०० कॉडिनेटर, एन०य०एच०एम० कॉडिनेटर तथा अन्य के साथ बैठक की गई। बैठक में भ्रमण के दौरान चिह्नित किये गये समस्त गैप्स की जानकारी दी गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को यह अवगत कराया गया कि आर०बी०एस०क०० के अन्तर्गत विशेष गतिविधियों जैसे 6.2.5.1—MHT हेतु सी०य०जी० तथा 2.2.4—आर०बी०एस०क०० ई०डी०एल० औषधि मद में माह मार्च 2019 तक शून्य व्यय किया गया है। आर०बी०एस०क०० के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कुल संदर्भन 1529 तथा उपचारित बच्चों की संख्या केवल 8 दर्शायी गयी है। साथ ही माह अप्रैल 2019 के रिपोर्ट के अनुसार जनपद में कुल संदर्भन एवं उपचार शून्य दर्शायें गये। इससे यह प्रतीत होता है कि आर०बी०एस०क०० से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। यह भी अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा माह अप्रैल 2019 में एच०एम०आई०एस० पोर्टल पर आर०बी०एस०क०० से जुड़े प्रपत्र पर कोई भी सूचना नहीं भरी गयी। इससे जनपद की छवि अत्यन्त धूमिल होती है। जनपद में कार्यरत डी०ई०आई०सी० मैनेजर श्री पिंटु सिंह को दल द्वारा चेतावनी दी गयी तथा आर०बी०एस०क०० कार्यक्रम के सभी गतिविधियों की ब्लाकवार एवं टीमवार नियमित समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही समस्त गैप्स का निराकरण कर दिया जायेगा।


 इन्द्रानी सरकार,
 एकाउन्ट मैनेजर कम डाटा एनालिस्ट, आर०बी०एस०क००


 डॉ रेशमा मसूद,
 ए०जी०एम०, आर०बी०एस०क००